सत्यनारायण बनाम श्यामसुंदर वगैरह
दीवानी मुत्तफरिक संख्या 46/08/20
सीआईएस नंबर–48/20

दिनांक 07.04.2026

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित। इस आदेश के माध्यम से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 सगे भाई है जिनकी माता श्रीमती चंद्रकला का स्वर्गवास दिनांक 25.12.1992 को हो गया था। प्रार्थीगण की स्वर्गीय माता के पास सोने–चांदी के जेवरात एवं बैंक ऑफ इंडिया शाखा भगत सिंह सर्किल अलवर, बैंक आफ बडौदा बुद्वविहार अलवर एवं भारतीय स्टेट बैंक शाखा महल चौक अलवर में उनके द्वारा उनके नाम से जमा की गई नकद धनराशि एफडीआर के रूप में जमा है एवं बैंक लॉकर में सोने चांदी के जेवरात भी जमा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 के मध्य अपनी माता के स्वर्गवास के पश्चात बैंक में जमा धनराशि एवं बैंक लॉकर में जमा सोने चांदी के जेवरात आपसमें बैठकर बंटवारा कर लेने की बात हुई। प्रार्थीगण की स्वर्गीय माता के बैंक खातो में नॉमिनी के रूप में अप्रार्थी सं0 1 का नाम दर्ज है। अप्रार्थी सं0 1 ने श्रीमती चंद्रकला के बैंक खाता नंबरो एवं जमा धनराशि की कोई जानकारी प्रार्थीगण को नही दी। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं0 1 से बैंक खाता नंबरो की जानकारी लेने हेतु बार–बार आग्रह किया जिसके बावजूद अप्रार्थी सं0 1 ने कोई जानकारी नही दी। प्रार्थीगण के प्रयास के बाद मात्र अप्रार्थी सं0 2 बैंक में चल रहा खाता नं0 एवं लॉकर नं0 की जानकारी प्राप्त हुई। अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थीगण के माता के बैंको में नकद व एफडीआर के रूप में जमा समस्त धनराशि व बैंक लॉकर में रखे हुए जेवरात को अकेले हडप करना चाहता है इसलिए वह उक्त चल संपत्ति का बंटवारा नही करना चाहता है। अप्रार्थी सं0 1 की बदनियती को देखते हुए प्रार्थीगण ने अप्रार्थी 2 लगायत 4 बैंको को लिखित व मौखिक रूप से यह निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 को नॉमिनी होने के आधार पर उक्त अप्रार्थी बैंको में खुले खातो में से एवं बैंक लॉकर में से किसी प्रकार की कोई धनराशि व जेवरात को निकालने की अनुमति प्रदान नही की जावे परंतु अप्रार्थी सं0 2 लगायत 4 से प्रार्थीगण को कोई संतोषप्रद जवाब प्राप्त नही हुआ। प्रार्थीगण मृतक चंद्रकला के विधिक वारिसान है जिससे मृतका के उक्त अप्रार्थी बैंको में चल रहे खातो में जमा धनराशि एवं बैंक लॉकर में रखे जेवरात पर बराबर का अधिकार है। अप्रार्थी सं0 1 मात्र नॉमिनी होने के आधार पर जमा धनराशि व जेवरात प्राप्त नही कर सकता। प्रार्थी का मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति साबित है।

अतः न्यायालय से निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थी सं0 2 लगायत 4 को पाबंद करते हुए यह आदेशित किया जावे कि वे श्रीमती चंद्रकला पत्नी स्व0 रामजीलाल मकान नं0 2 क 405, शिवाजी पार्क के नाम के बैंक खातों एवं उनमें जमा धनराशि एवं एफडीआर तथा बैंक लॉकर में जमा सोने चांदी के जेवरात आदि की पूरी जानकारी पेश करे। तथा श्रीमती चंद्रकला के नाम से किसी भी बैंक में जमा धनराशि, एफडीआर आदि का भुगतान न करे ना ही बैंक लॉकर में जमा जेवरात को निकालने की आज्ञा प्रदान करे। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी सं0 2 लगायत 4 को इस तरह पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थीगण की लिखित सहमति के बिना उक्त बैंक खातों से

भुगतान एवं सोने चांदी के जेवरात को निकालने की अनुमति अप्रार्थी सं0 1 को प्रदान न करे।

इसके विपरित अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया कि श्रीमती चंद्रकला के कोई भी जेवरात तथा खाते बैंक ऑफ इंडिया शाखा भगत सिंह सर्किल व भारतीय स्टेट बैंक में नही है। अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थीगण से बंटवारे को लेकर कोई बात नही की। प्रार्थीगण के यह तथ्य मनगढंत है। अप्रार्थी सं0 1 ने अपनी माता चंद्रकला की सेवा–सुश्रुता की एवं संस्कार किए। प्रार्थीगण का व्यवहार अच्छा न होने के कारण अप्रार्थी सं0 1 को श्रीमती चंद्रकला द्वारा अपना नॉमिनी नियुक्त किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक एवं नॉमिनी प्रावधान के अनुसार खाताधारक की मृत्यु के पश्चात नॉमिनी की उसके खातो व एफडीआर का भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी माना जाता है जिस कारण अप्रार्थी सं0 1 अपनी माता चंद्रकला के खातो व बैंक लॉकरो का अधिकारी है। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति किसी प्रकार से साबित नही होती है। अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मय हाजिर खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 2 ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के विरोध में यह कथन किया है कि मृतक चंद्रकला द्वारा संचालित बैंक खाते में उनकी मृत्यु के पश्चात 1 लाख 21 हजार 542.17 रूपये की राशि का बैलेंस है जिसका स्टेटमेंट जवाब के साथ संलग्न किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं0 2 को मृतक चंद्रकला के विधिक वारिसान होने का किसी प्रकार का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया। मृतका के बैंक खाता व लॉकर में जमा धनराशि व जेवरातो को प्राप्त करने हेतु उसके विधिक वारिसान द्वारा एक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र सक्षम न्यायालय मे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपने पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित कराने के पश्चात ही अप्रार्थी सं0 2 द्वारा विधिक वारिसान को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अतः प्रार्थीगण द्वारा वर्णित कथन की प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति उसके पक्ष में है, बेबुनियाद है एवं प्रमाणित नही है। जिसे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 10 हजार रूपये की स्पेशल कोस्ट पर खारिज फरमाये जाने का न्यायालय से निवेदन किया।

अप्रार्थी सं0 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विरोध किया एवं कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं0 3 से मृतक चंद्रकला के खातो एवं बैंक लॉकर के संबंध में जानकारी लेने हेतु किसी प्रकार का लिखित व मौखित निवेदन नही किया गया। अप्रार्थी सं0 3 की बैंक में श्रीमती चंद्रकला के दो खाते संचालित थे। जिसमें अप्रार्थी सं0 1 को बतौर नॉमिनी दर्ज कराया गया था। श्रीमती चंद्रकला की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी सं0 3 बैंक ने नॉमिनी की मांग पर उक्त दोनो खातों में जमा संपूर्ण राशि 1,80,249.29 रूपये का अंतरण नॉमिनी अप्रार्थी सं0 3 के बचत खाते में कर दिया था। वर्तमान में श्रीमती चंद्रकला की कोई भी राशि/चल संपत्ति अप्रार्थी सं0 3 बैंक के यहां जमा नही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हाजिर खर्चा खारिज फरमाया जावे एवं अप्रार्थी सं0 3 को बेजा तंग व परेशान करने हेतु स्पेशल कोस्ट दिलाई जावे।

अप्रार्थी सं0 4 ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के विरोध में जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर यह कथन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित कथन असत्य है। श्रीमती चंद्रकला का जो बैंक खाता अप्रार्थी सं0 4 बैंक में था, उसमें अप्रार्थी सं0 1 नॉमिनी था। उक्त खाते की संपूर्ण राशि 3,87,850 रूपये का भुगतान जरिये चैक दिनांक 06.06.2020 को किया जाकर उक्त खाता बंद कर दिया गया है जिससे अब अप्रार्थी सं0

4 बैंक प्रार्थीगण के प्रति जवाबदेह नही है। अतः निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए उनके पक्ष में प अप्रार्थी सं0 1 के अधिवक्ता ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के तीनो बिंदु होने के आधार पर प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुतोष प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

इसके विपरित अप्रार्थी सं0 1,2,3 व 4 के अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो की पुनरावृत्ति करते हुए यह कथन किया कि प्रार्थीगण को कोई प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति प्रमाणित नही होने के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षो के तर्को व तथ्यों पर मनन कर पत्रावली एवं संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु न्यायालय को तीन बिंदुओ पर विवेचन करना है–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूर्णनीय क्षति

<u>प्रथम दृष्टया मामला–</u>

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि प्रकरण में ऐसा कोई प्रश्न विद्यमान है जिसका निस्तारण साक्ष्य आने के उपरांत मूल वाद में किया जा सकता था। इस बिंदु को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। इस बिंदु के परिपेक्ष्य में यदि पत्रावली का अवलोकन किया जाये तो यह प्रतीत हेाता है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 स्व0 श्रीमती चंद्रकला के वारिसान है। प्रार्थीगण ने हस्तगत प्रार्थना पत्र मृतक चंद्रकला के बैंक खातो में जमा राशि, एफडीआर व बैंक लॉकर में सोने चांदी के जेवराते को अप्रार्थी सं0 1द्वारा ना निकाले जाने हेतु अप्रार्थी सं0 2 लगायत 4 को पाबंद करने के आशय से प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण का यह कथन है कि विधिक वारिसान होने के कारण मृतक चंद्रकला के बैंक खातों एवं बैंक लॉकरों में उनका अधिकार है। अप्रार्थी सं0 1 को मृतक चंद्रकला द्वारा अपने खातो में बतौर नॉमिनी नामजद कराया गया है। प्रार्थीगण का यह कथन है कि अप्रार्थी सं0 3 नॉमिनी होने का लाभ उठाकर मृतक चंद्रकला के बैक खातो व बैंक लॉकरो में जमा धनराशि एवं जेवरातो को हडप करने का आशय रखता है। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर आता है कि अप्रार्थी सं0 3 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के साथ मृतका चंद्रकला के बैंक खाते का बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत किया है।

बैंक स्टेटमेंट से यह स्पष्ट है कि मृतक चंद्रकला की मृत्युके पश्चात उसके संचालित 2 खातो में से 1,17,707 रूपये व 62,542 रूपये नॉमिनी अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अपने संचालित खाते में दिनांक 29.01.2020 अंतरित की गई जो कुल 1,80,249. 29 रूपये है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी सं0 2 ने मृतका चंद्रकला के संचालित खातो के संबंध में बैंक स्टेटमेंट पेश करते हुए यह हवाला दिया है कि वह प्रार्थीगण को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय से प्राप्त निर्णय व आदेश जिसमें विधिक वारिसान से संबंधित प्रमाण पत्र जारी किया गयाहो, के अभाव में उक्त संचालित खातो की राशि का भुगतान प्रार्थीगण को नही कर सकता। अप्रार्थी सं0 4 का यह कथन है कि उसकी बैंक में संचालित खाते में अप्रार्थी सं0 1 मृतका चंद्रकला के नॉमिनी के रूप में नामजद था। अप्रार्थी सं0 4 की बैंक में संचालित खाते में कुल

राशि 3,87,850 रूपये का भुगतान जरिये चैक दिनांक 06.06.2020 को नॉमिनी को किया जाकर उक्त खाते को बंद किया जा चुका है। परंतु इस संबंध में अप्रार्थी सं0 4 द्वारा किसी प्रकार का कोई बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत नही किया चुका है।

अप्रार्थी सं0 1 का यह कथन है कि उसने अपनी स्व0 माता की वृद्वावस्था में देखभाल की है एवं उनके संस्कार किएहै जिसके परिणामस्वरूप अप्रार्थी सं0 1 को बतौर नॉमिनी नियुक्त किया गया था। अप्रार्थीसं0 1 अपनी माता के खातो से लेनदेन करता रहा है एवं नॉमिनी प्रावधान के अनुसार खाताधारक की मृत्यु के पश्चात नॉमिनी को उस खाते से संबंधित लेनदेन करने का अधिकार प्राप्त है एवं अन्य वारिसान का मृतका के खातो में किसी प्रकार का विधिक अधिकार नही है। विधिक प्रावधानों के अनुसार खाताधारक की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा अपने जीवनकाल में नियुक्त नॉमिनी उसके मृत्यु के पश्चात उसके खातो में जमा राशि का संरक्षक के रूप में अधिकारित होता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी सं0 2 लगायत 4 में मृतका चंद्रकला के संचालित खाते थे। जिनमें अप्रार्थी सं0 1 को बतौर नॉमिनी नियुक्त किया गया था।

अप्रार्थी सं0 3 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के साथ बैंक स्टेटमेंट पेश किया जिससे स्पष्ट है कि मृतका चंद्रकला द्वारा संचालित दो खातो की कुल राशि को अप्रार्थी सं 01 ने अपने संचालित खाते में अंतरित किया लिया है। पत्रावली पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजो से यह तो स्पष्ट है कि मृतका चंद्रकला द्वारा अपने संचालित खातो का अप्रार्थी सं0 1 को नॉमिनी नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण मृतका चंद्रकला के विधिक वारिसान होने के आधार पर उक्त खातो में जमा नकद राशि, एफडीआर व जेवरात को प्राप्त करने के अधिकारी है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा मृतका चंद्रकला के खातो से धनराशि एवं बैंक लॉकर से सोने चांदी के जेवरात का लेनदेन ना किया जाना मूल वाद के निर्णय तक आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार **प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहे है।**

<u>सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का एक साथ निस्तारण–</u>

उक्त प्रकरण मे यह भार प्रार्थी पर था कि यदि अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश उसके पक्ष में नही हुआ तो उसे अपूर्णनीय क्षति होगी। अपूर्णनीय क्षति इस प्रकार की होनी चाहिए जिसकी भरपाई आर्थिक मुआवजे से नही की जा सकती। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि यदि अप्रार्थी सं0 1 व अप्रार्थी सं0 2 लगायत 4 द्व ारा मृतका चंद्रकला के खातो से लेनदेन व भुगतान आदि किया गया या बैंक लॉकर में रखे सोने चांदी के जेवरात निकाले गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित कर चुके है।

अपूर्णनीय क्षति का बिंदू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। जहां तक बात है कि सुविधा के संतुलन की तो यदि अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है तो अप्रार्थी सं0 1 व अप्रार्थी सं0 2 लगायत 4 को अधिक असुविधा होना प्रतीत नही हेाता है अतः यह दोनो बिंदु भी प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे है।

आदेश

अतः **प्रार्थीगण सत्यनारायण वगैरा** की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 जाप्ता दीवानी **स्वीकार** किया जाकर उभय पक्षकारो को आदेश दिया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक मृतका चंद्रकला के खातो में जमा राशि, एफडीआर एवं बैंक लॉकरो में जमा सोने चांदी के जेवरात का लेनदेन व भुगतान न कर यथास्थिति बनाये रखे एवं मूल वाद के निर्णित होने तक उक्त खातो में से किसी प्रकार का उपयोग व उपभोग न करे।

ज्योति के.सोनी
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या 3,अलवर

आदेश आज दिनांक 07.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया ।

ज्योति के.सोनी
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या 3,अलवर